

फा.सं. 6/06/2022 - डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29 नवंबर, 2022

प्रति,

सभी इच्छुक पार्टियां

विषय:- अंतिम पीसीएन कार्यप्रणाली- चीन जन गण के मूल या वहां से निर्यातित "विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (वीएफवाई)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

यह शुरुआती अधिसूचना एफ.सं. 6/6/2022-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर, 2022 के संदर्भ में है, जिसके तहत शुरुआती अधिसूचना में प्रस्तावित पीसीएन पर सभी इच्छुक पार्टियों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इच्छुक पार्टियों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है और अपनाई गई अंतिम पीसीएन पद्धति का उल्लेख निम्नानुसार है: -

मापदंडों	प्रस्तावित पी.सी.एन	कोड साइन
प्रौद्योगिकी उत्पादन में कार्यरत है	a. निरंतर कताई यार्न	a. सीएसवाई
	b. पॉट स्पून यार्न / स्पूल स्पून यार्न	b. पीएसवाई / एसएसवाई
यार्न का डेनियर	एक। वास्तविक डेनियर	a. XXX
कई बार प्रोडक्ट को ट्विस्ट किया गया है	a. अनट्विस्टेड	a. केन्द्र शासित प्रदेशों
	b. एक बार मुड़ गया	b. ओटी
	c. डबल मुड़ा हुआ	c. डीटी
डाईड/अनडाईड	a. सारंग	a. डीवाई
	b. रंगे नहीं	b. UNDY

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि एसएसवाई तकनीक के माध्यम से उत्पादित वीएफवाई को जांच में शामिल किया गया है और यह पीसीएन के लिए एक अलग श्रेणी बनाता है।
3. सभी इच्छुक पार्टियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह अंतिम पीसीएन अधिसूचना है। इसके अलावा, पीसीएन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा किसी संशोधन/टिप्पणी/तर्क पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, सभी इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे **14 दिसंबर, 2022 तक** उपरोक्त पीसीएन-पद्धति के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें। प्राधिकारी द्वारा प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करने के लिए आगे कोई समय विस्तार नहीं दिया जाएगा क्योंकि पाटनरोधी जांच समयबद्ध है।
5. इन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सादर,

हस्ता/-

राजीव कुमार सोनी

संयुक्त निदेशक

ईमेल: jd12-dgtr@gov.in